वित्त निर्देश 08/2018

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक 79/एल 2017–04–00364/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 28.2.2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना से 01.11.2004 के पश्चात् कार्यभारित स्थापना में नियमित हुए शासकीय सेवकों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1979 अंतर्गत पेंशन भुगतान

आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों की सेवा 01.11.2004 के पश्चात् कार्यभारित स्थापना में नियमित होने के फलस्वरूप इन कर्मचारियों पर अंशदायी पेंशन योजना लागू किया गया तथा योजनांतर्गत PRAN नंबर आबंटित कर अंशदान कटौती किया गया है। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.2.2015 (छायाप्रति संलग्न) के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इन कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1979 अंतर्गत पेंशन भुगतान किया जावेगा।

2/ आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना के सेवानिवृत्त ऐसे कर्मचारी जिन्हें PRAN में जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है एवं पेंशन नियम 1979 अनुसार पेंशन भुगतान किया जावेगा उन कर्मचारियों को Non-NPS कर्मचारी चिन्हांकित करते हुए PRAN में जमा पूर्ण राशि को Error Rectification Module (3) के तहत संचालक, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर के बैंक खाते में वापस किया जावेगा। इस हेतु कर्मचारी एनेक्जर–1 में तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी एनेक्जर–2 में आवेदन संबंधित जिले के जिला कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिला कोषालय अधिकारी उक्त आवेदन संकलित कर कार्यवाही हेतु संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रेषित करेंगे। वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 436/एफ 2017–04–03761/वि /नि/चार दिनांक 24.10.2017 द्वारा Error Rectification Module की प्रकियागत कार्यवाही हेतु संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को अधिकृत किया गया था। इसमें आंशिक संशोधन करते हुये Error Rectification Module का प्रकियागत ऑन लाईन अनुरोध अंशदाता द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन स्तर पर किया जावेगा तथा ऑनलाईन अनुरोध को मान्य करने हेतु संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, नया रायपुर को अधिकृत किया जाता है। PRAN में जमा राशि के वापसी पश्चात् कर्मचारी अंशदान राशि तथा उस पर उपार्जित लाभ संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते में भुगतान किया जावे एवं नियोक्ता अंशदान राशि तथा उस पर उपार्जित लाभ शासन के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जावे।

3/ आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना के सेवानिवृत्त ऐसे कर्मचारी जिन्हें PFRDA के अधिसूचना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, दिनांक 11 मई 2015 के तहत कुल जमा दो लाख के बराबर या कम होने से PRAN में जमा पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है उन मामलो में किये गये कुल भुगतान राशि का 50 प्रतिशत अर्थात् नियोक्ता अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ की राशि का चालान के माध्यम से शासन के प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा कर शासन को अनिवार्य रूप से वापस करेगा। कर्मचारी द्वारा नियोक्ता अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ की राशि के वापसी उपरांत ही कंडिका 1 अनुसार पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किया जावेगा।

4/ आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना के ऐसे कर्मचारी जिन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात् PRAN में कुल जमा राशि का 60 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया है एवं शेष 40 प्रतिशत राशि का अभिदाता द्वारा वार्षिकी क्रय किया गया है। ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी को 60 प्रतिशत राशि के भुगतान दिनांक को PRAN में कुल जमा राशि का 50 प्रतिशत अर्थात् PRAN में कुल जमा नियोक्ता अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ की राशि चालान के माध्यम से शासन के प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा कर शासन को अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे। कर्मचारी द्वारा नियोक्ता अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ की राशि के वापसी उपरांत ही कंडिका 1 अनुसार पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किया जावेगा।

5/ आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना के ऐसे कर्मचारी जिन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात् PRAN में कुल जमा राशि के 60 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया है एवं शेष 40 प्रतिशत राशि का अभिदाता द्वारा वार्षिकी क्रय नहीं किया गया है । ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी को 60 प्रतिशत राशि के भुगतान दिनांक को PRAN में कुल जमा राशि का 10 प्रतिशत राशि चालान के माध्यम से शासन के प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा कर शासन को अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे। चूंकि शेष 40 प्रतिशत राशि जो कि अभिदाता द्वारा वार्षिकी क्रय नहीं किया गया है को Error Rectification Module (3) के तहत संचालक, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर के बैंक खाते में वापस किया जावेगा तथा वापसी पश्चात् शासन के प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जावे। कर्मचारी द्वारा 10 प्रतिशत राशि के वापसी तथा शेष 40 प्रतिशत राशि का Error Rectification Module (3) के तहत समायोजन उपरांत ही कंडिका 1 अनुसार पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किया जावेगा।

6/ कंडिका 2, 3, 4 एवं 5 हेतु शासन के प्राप्ति शीर्ष, मुख्य शीर्ष 0071– पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली, उप मुख्य शीर्ष 01–सिविल, लघु शीर्ष 101– अभिदान और अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ मुख्य शीर्ष 0049–ब्याज प्राप्तियां, उप मुख्य शीर्ष 04– राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियां, लघु शीर्ष 800– अन्य प्राप्तियां निर्धारित किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

28/02/2018

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

पृ.क्र. 80/एल 2017–04–00364/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 28.2.2018

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल /महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

28.02.18

(राघवेन्द्र कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना के शासकीय सेवक 01.11.2004 के पश्चात् शासकीय सेवा में नियमित हुए थे एवं एन.पी.एस. में वर्गीकृत किया गया था। ऐसे शासकीय सेवकों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है। उनके PRAN खाते में जमा राशि के वापसी हेतु दावा ।

भाग ए–अभिदाता का आवेदन

To,
ASSTT. VICE PRESIDENT,
CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY,
NSDL 4TH FLOOR, 'A' WING, TRADE WORLD,
KAMALA MILLS COMPOUND,
SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (W),
MUMBAI-400013

विषयः– आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए अभिदाता के एन.पी.एस. खाते में जमा राशि का आहरण ।

महोदय/महोदया,

मैं यह सूचित करना चाहूंगा/चाहूंगी कि आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना से मेरी सेवा 01.11.2004 के पश्चात् शासकीय सेवा में दिनांक ..... को नियमित हुआ था /हुई थी एवं एन.पी.एस. के तहत वर्गीकृत किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. के आदेश के तहत छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार मुझे पेंशन नियम 1979 अंतर्गत पेंशन भुगतान किया जावेगा । आदेश कमांक ....दिनांक..... । मैं अपने एन.पी.एस. खाते में जमा राशि को वापस लेने और संचालक, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन इंद्रावती भवन, नया रायपुर के बैंक खाते में जमा करने का अनुरोध करता/करती हूँ । मेरे एन.पी.एस. खाते में जमा कर्मचारी अंशदान राशि उस पर उपार्जित लाभ को मेरे बैंक खातें में– ..... IFSC Code..... .....MICR code ..... एवं नियोक्ता अंशदान मुख्य शीर्ष 0071– पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली, उप मुख्य शीर्ष 01–सिविल, लघु शीर्ष 101– अभिदान और अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ मुख्य शीर्ष 0049–ब्याज प्राप्तियां, उप मुख्य शीर्ष 04– राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियां, लघु शीर्ष 800– अन्य प्राप्तियां में जमा किया जावे ।

PRAN No. .....

*सी.आर.एस. सिस्टम में प्रविष्टि किये जाने हेतु निम्न अन्य सभी विवरण –

जन्म तिथि .....
PAO .....
DTO .....
DDO ..... जिसके अंर्तगत अभिदाता है।

घोषणा

मैं ..... एन.पी.एस. अभिदाता PRAN नंबर–..... घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे विवेक एवं विश्वास अनुसार सत्य है।

दिनांक .....
स्थान .....

अभिदाता के हस्ताक्षर

* हस्ताक्षर को पी.आर.ए.एन. कार्ड /एन.पी.एस. फॉर्म पर हस्ताक्षर के साथ मिलान करना चाहिए ।

टीपः–
1. शासन से जारी आदेश पत्र की छायाप्रति (जिसके तहत पेंशन भुगतान किया जाना है।) को इस आवेदन के साथ संलग्न किया जावे ।
2. अभिदाता द्वारा दिया गया बैंक खाता जनधन योजना का न हो । इस हेतु बैंक पासबुक/निरस्त चेक/बैंक प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न किया जावें ।

भाग बी–आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/कु. ..... पद .....PRAN नंबर ..... को आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना से 01.11.2004 के पश्चात् शासकीय सेवा में दिनांक ..... को नियमित किया गया था तथा दिनांक ..... को सेवानिवृत्त हुए है को एन.पी.एस. के तहत वर्गीकृत किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. के आदेश के तहत छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार इन्हें पेंशन नियम 1979 अंतर्गत पेंशन भुगतान किया जावेगा। यह कार्यालय संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन को अभिदाता के PRAN में जमा राशि को वापस लेने एवं संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर के बैंक खाते में जमा करने का अनुरोध करते हैं।

Disclaimer :– हमे ज्ञात है कि उक्त अंशदान राशि एन.पी.एस. में निवेश किया गया था और NAV मूल्य परिवर्तन के आधार पर एन.पी.एस. में निवेश किए गए कुल अंशदान राशि से अधिक या कम हो सकता है। यह संचालक, संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, कोष लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा । अभिदाता का अंशदान एवं उप उपार्जित लाभ संबंधित के बैंक खाता .. ..में तथा नियोक्ता अंशदान मुख्य शीर्ष 0071– पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली, उप मुख्य शीर्ष 01–सिविल, लघु शीर्ष 101– अभिदान और अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ मुख्य शीर्ष 0049–ब्याज प्राप्तियां, उप मुख्य शीर्ष 04– राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियां, लघु शीर्ष 800– अन्य प्राप्तियां में जमा किया जावे।

(Signature of DDO)

DDO Name

DDO Registration No.

Date

Place

4/3/15

प्रतिलिपि
बिलासपुर
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

9. Writ Appeal No. 1123 of 2012

APPELLANT : Sukhdeo Puri Goshwami.

VERSUS

RESPONDENTS : State of Chhattisgarh & Others.

10. Writ Petition (S) No. 5043 of 2012

PETITIONERS : Kunti Bai & Another.

VERSUS

RESPONDENTS : State of Chhattisgarh & Others.

11. Writ Appeal No. 1180 of 2012

APPELLANT : Smt. Uma Devi Verma.

VERSUS

RESPONDENTS : State of Chhattisgarh & Others.

CHHATTISGARH HIGH

Appearance: Shri H.S.Ahluwalia, Shri Anup Majumdar, Shri Ashok Patil, Shri K.P.S.Gandhi and Shri F.S.Khare, Advocates for the respective Appellants/Petitioners.
Shri [illegible] Bharat, Additional Advocate General for the State.

JUDGMENT

(26th February, 2015)

Copy of

Per [illegible] Sinha, [illegible]

1. The present appeals arise from a common order dated 28.02.2012 in a batch of analogous writ petitions. Pending the appeals, fresh writ petitions were filed on the same issues. The Learned Single Judge directed them to be placed before the Division Bench along with the appeals. This order shall therefore govern both, the appeals and the original writ petitions.

2. The controversy relates to eligibility for grant of pension to persons who have retired in the capacity of 'permanent' under the Chhattisgarh (Work Charged and Contingency Paid Employees) Pension Rules, 1979 (hereinafter referred to as 'the Pension Rules,1979') read with

Contingency Paid Employees Rules, 1975 (hereinafter referred to as 'the Contingency Rules1975').

3. The Learned Single Judge held that to avail the benefit of pension, qualifying service would not suffice in absence of the appointment having been made under the procedure prescribed in Rule 7 of the Contingency Rules, 1975. There also had to be an express order granting them 'temporary' status considering that their original appointment was as a daily wager. The status of 'permanence' was a sequel to the same. A daily wager did not hold any post. The opening of a service book, grant of earned leave, gratuity and revision of pay were alone inconsequential. A person who had not completed six years of qualifying service from the date of absorption was not entitled to pension under Rule 6(3) of the Pension Rules, 1979.

4. Learned Counsel for the Appellants/Petitioners submitted that they were all appointed in the Public Works Department/ Irrigation Department/Forest Department as daily wagers. Under Rule 6 of the Contingency Rules 1975, the work-charged establishment consists of 'temporary' and 'permanent' employees. The methods of appointment provided in Rule 7 are either by direct recruitment, promotion or transfer to be regulated by a Committee provided for in Rule 7(2)(a) of the Contingency Rules, 1975. Rule 4(2)(b) of the Contingency Rules,1975 provides that a person in the work charged establishment will acquire status of a 'temporary' employee after five years. The persons who were appointed in the Public Works Department/Irrigation Department/Forest Department and came into the work charged establishment either by promotion or transfer, therefore acquired the status of a 'temporary' employee by operation of law under the Pension Rules,1979. The orders

for release of their gratuity after superannuation recognized that they had acquired 'temporary' status after working five years in the work charged establishment.

5. The notification dated 2.3.2005 issued by the Finance & Planning Department clarifies that for determining pensionable service of work charged employees, the period spent in 'temporary' capacity had also to be taken into consideration. Unfortunately, this could not be placed before the Learned Single Judge leading to the conclusion that they did not fulfill the period of five years of service after permanence as required under Rule 3(3) of the Pension Rules. The validity of their appointment under Rule 7 of the Contingency Rules, 1975, was never an issue before the Learned Single Judge in the pleadings of the parties. The Respondents did not take such contention in their counter affidavit. There will be a presumption that the appointment of persons like the Appellants/Petitioners was made in accordance with law under section 114 (e) of the Evidence Act, especially when they continued in service uninterrupted for 25-30 years and superannuated thereafter. It is not the case of the Respondents that they have taken action against any person for having made appointments contrary to law.

6. Learned Additional Advocate General appearing for the State submitted that the Appellants/Petitioners were appointed on daily wages. The Learned Single Judge has noticed that there is no order granting them 'temporary' status under the Contingency Rules, 1975. If the very entry into service was contrary to law as held by Learned Single Judge and there is no order granting 'temporary' status, the question for absorption in the 'permanent' establishment simply does not arise. A daily wager does not hold any post and his absorption or regularization

is not permissible as has been held in repeated judicial pronouncements. The Learned Single Judge has also considered Rule 6(3) of the Pension Rules, 1979, holding that the Appellant/Petitioners did not fulfill the requirement for six years of qualifying service after grant of permanence in 2008 and before superannuation.

7. We have considered the submissions on behalf of the parties and examined the relevant provisions of law. Suffice it to observe at the outset that the Appellants/Petitioners are all similarly situated on facts with regard to their appointment under the Contingency Rules,1975, acquiring 'temporary' status after completion of five years in the work charged establishment. The order granting them 'permanent' status under the Contingency Rules, 1975 have all been passed in the year 2008 itself. There may be slight variation of facts only with regard to individual dates not affecting the basis of the claim for fulfillment of all statutory requirements.

8. The Appellants/Petitioners were appointed in different department on daily wages. Rule 3 of the Contingency Rules, 1975, provides that the work-charged establishment shall consist of 'temporary' and 'permanent' employees. Rule 7 of the Contingency Rules, 1975, provides for appointment from three different sources viz. direct recruitment, promotion and transfer. Rule 4(2)(b) of the Contingency Rules, 1975, provides that those appointed after promulgation of the Contingency Rules, 1975, would acquire status of temporary employees after completion of five years of service. If the acquisition of temporary status is by virtue of a statutory provision, subject to fulfillment of the conditions prescribed under the same, the benefit flows automatically. The absence of a formal specific order granting that statutory status cannot take away

the benefit of the same to those who fulfill the requirement. To hold otherwise will create an incongruous situation where a person may fulfill the statutory requirement but will still remain at the mercy of the Respondents who may or may not issue the necessary formal order rendering the statutory provision redundant. Such an interpretation would not only be arbitrary but would also be against the intention of the rule maker generating clearly avoidable litigation. Disputed claims would naturally fall in a different category.

9. Every appointment made in government service may be presumed to have been made in accordance with law, it is a rebuttable presumption. But for the question to be decided, it must emerge from the pleadings and documents of the parties as a lis. The question before the Learned Single Judge was eligibility for pensionable service and not the validity of the appointment. We have examined the counter-affidavit filed by the Respondents also. No plea was taken regarding invalidity of the appointment to urge denial of pensionary benefits.

10. The Appellants/Petitioners acquired 'temporary' status after five years of service in the work charged establishment by operation of the law. The order passed in 2008 using the word 'absorption', in our opinion, is a misnomer. The appropriate word that may have been used was 'permanent' in accordance with Rule 6(1)(i) of the Contingency Rules, 1975. The Learned Single Judge arrived at the conclusion that even from the date of having been made permanent in 2008, the Appellants/ Petitioners did not fulfill the requirement of six years of service under Rule 6 (3) of the Pension Rules. This conclusion was arrived at in absence of necessary materials having been placed before the Learned Single Judge with regard to government instructions. The Government

instruction dated 2.3.2005 placed before us on behalf of the Appellant/Petitioners reads as follows:

"छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
रायपुर, दिनांक 2 मार्च, 2005

क्रमांक 81 / 1060 / वि / मि / 04

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़।

विषयः कार्यभारित / आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियमित स्थापना में नियुक्ति होने पर अर्हकारी सेवा का निर्धारण।

छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के नियम 5(3) में यह प्रावधान है कि "किसी अस्थायी कर्मचारी के, बिना किसी व्यवधान के किसी भी नियमित पेंशन योग्य पद पर नियुक्त किये जाने पर, 1 जनवरी, 1974 से आगे की गई सेवा, बशर्ते कि ऐसी सेवा 6 वर्ष से कम की न हो, पेंशन के लिये गिनी जायेगी, बशर्ते कि ऐसी सेवा किसी नियमित पद पर की गई हो।"

लघुवेतन कर्मचारी संघों द्वारा राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि कुछ विभागों द्वारा अर्हकारी सेवा की गणना हेतु उक्त नियमों के तहत अस्थाई सेवा को शामिल नहीं किया जा रहा है।

समस्त विभागों से अनुरोध है कि वे उक्त प्रावधानों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में लावें तथा इसके आधार पर अर्हताकारी सेवा की गणना करते हुए लंबित पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने हेतु निर्देशित करें

हस्ता. / –

(सतीश पाण्डेय)
उपसचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग"

11. The Appellants/Petitioners are stated to have completed a total of 25-30 years in service including the period spent in 'temporary' status. They have acquired permanent status after five years of their appointment in the contingency establishment. It is not in dispute evident from the orders releasing their gratuity that they fulfill the requirement for acquiring 'temporary' status after five years under Rule 4(2)(b) of the Contingency Rules, 1975. Under Instructions dated 2.3.2005 the period spent in

'temporary' service had to be taken into account to reckon pensionable service which clearly brings them within the qualifying period. The Appellant/Petitioners are therefore held entitled to pension under the Pension Rules, 1979.

12. Let the current pension of the Appellants/Petitioners be calculated and payment commenced preferably within a period of four weeks from the date of receipt and/or presentation of a copy of this order and the arrears to be paid within a period of 12 months from the date current pension starts.

13. All the appeals/writ petitions are allowed.

Sd/-
Navin Sinha
Acting Chief Justice

Sd/-
P. Sam Koshy
Judge

CHHATTISGARH HIGH COURT

सत्यमेव जयते

सत्य-प्रतिलिपि
4/3/15
मुख्य प्रतिलिपिकार
उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

(1) Application received on	27/2/15
(2) [illegible]	28/2/15
(3) [illegible]	4.3.15
(4) [illegible]	27/2/15
(5) received ... without further particulars	4/3/15
(6) Applicant given notice for further stamps or correct particulars on	—
(7) Applicant given notice for further funds on	—
(8) Notice in column (6) or (7) complied with on	—
(9) Copy ready on	4/3/15
(10) Copy delivered on	4.3.15
(11) [illegible]	[illegible]